

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

दमा पार्वी कुंठ विपक्षी डेवी सिंह  
बाड पत्रावली संख्या 79/21 सन \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

29.9.25

पत्रावली पेग हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए प्रकरण लम्बे समय ले लाफि हेतु निपटरे वादी अधिवक्ता को कईवार आवेजें लगवाई गईं बावजूद इलेके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ निलते जाहिर है कि वादी के अपने वाद के प्रति जेभीर नहीं है तथा अपना वाद नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी-अदम पेखी में खारिज किया जाता है। निर्णय से इजलास मुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार होऊ नम्बर से कम हो।



(अबुल गार्डे हुजा)

DA